न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 52 / 2023

प्रार्थीगण :–

1. चांदोदेवी पत्नी मोहनसिंह
2. देवीसिंह पुत्र मोहनसिंह
3. मोतीसिंह पुत्र मोहनसिंह
4. जगदीशसिंह पुत्र रूपसिंह
5. भवानीसिंह पुत्र रूपसिंह
6. विमलादेवी पत्नी रूपसिंह
7. जमनादेवी पत्नी सुरतानसिंह
8. राजूसिंह पुत्र सुरतानसिंह
9. सवाईसिंह पुत्र सुरतानसिंह
10. भागीरथसिंह पुत्र खेतसिंह सभी जातियान पुरोहित निवासीयान तिरसींगडी सोढ़ा तह0 कल्याणपुर जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत नेवरी जरिये सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी नेवरी ।
2. उगमो पत्नी चिमनसिंह
3. गंगासिंह पुत्र रूपाराम
4. गीतादेवी पत्नी नरपतसिंह
5. गोपसिंह पुत्र रणजीतसिंह
6. जसराज पुत्र रणजीतसिंह
7. दुर्जनसिंह पुत्र रूपाराम
8. दीपक राजपुरोहित पुत्र पंकजसिंह जाति राजपूत नाबालिंग कुदरती वलीया माता सीतादेवी पत्नी पंकजसिंह जाति पुरोहित।
9. बद्रीप्रसाद पुत्र रणजीतसिंह
10. बलवन्तसिंह पुत्र रूपाराम
11. भंवरसिंह पुत्र जगदीशसिंह
12. मोहनसिंह पुत्र रणजीतसिंह
13. मोहनसिंह पुत्र रूपाराम
14. लालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
15. शंकरसिंह पुत्र चिमनसिंह
16. श्रवणसिंह पुत्र दुर्जनसिंह
17. सन्तोषसिंह पुत्र भीमसिंह
18. सवाईसिंह पुत्र भीमसिंह
19. सीतादेवी पत्नी पकंजसिंह
20. सवाईसिंह पुत्र बंशीलाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:07 IST
Reason: SelfAttested

लगातार ....

29.5.2023
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

21. जीवराजसिंह पुत्र आईनसिंह
22. नरपतसिंह पुत्र आईदानसिंह
23. वरजुदेवी पत्नी आईदानसिंह
24. मालमसिंह पुत्र आईदानसिंह सभी जातियान पुरोहित, निवासीयान तिरसीगडी सोढ़ा तह0 कल्याणपुर
25. राज. सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर, जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री चेलाराम कुमावत , प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री पंकज सांखला विप्रार्थी संख्या 11, 17, 21, 22
3. विप्रार्थी संख्या 1 ता 10, 12 ता 14, 16, 18 ता 20, 23 ता 25 एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :– 29.5.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम तिरसीगडी सोढा, पटवार हल्का नेवरी , भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र थोब, तहसील कल्याणपुर मे खसरा संख्या 338 क्षेत्रफल 1.4488 हैक्टर भूमि मे अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 11 ,17, 21 व 22 जरिये वकालतन उपस्थित ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रकट नही होना प्रकट किया । विप्रार्थी संख्या – 15 स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रकट नही होना प्रकट किया । विप्रार्थी संख्या 1 ता 10, 12 ता 14, 16, 18 ता 20, 23 ता 25 के जरिये [illegible] नोटिस बावजूद सूचना व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी [illegible] वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही [illegible] गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:07 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा ग्राम तिरसींगढी सोढा

लगातार ....

(signature) 29.5.2023
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

पटवार हल्का नेवरी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील कल्याणपुर मे खसरा संख्या 338 क्षेत्रफल 1.4488 हैक्टर में आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम तिरसींगढी सोढा पटवार हल्का नेवरी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थोब, तहसील कल्याणपुर मे खसरा संख्या 338 क्षेत्रफल 1.4488 हैक्टर अवस्थित भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

हमने विद्ववान अधिवक्तागण प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॅार्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा ग्राम तिरसींगढी सोढा पटवार हल्का नेवरी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र थोब, तहसील कल्याणपुर मे खसरा संख्या 338 क्षेत्रफल 1.4488 हैक्टर अवस्थित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है । विप्रार्थी संख्या –11, 15, 17, 21 व 22 की और से प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे किसी प्रकार की आपत्ति नही होना प्रकट किया है व शेष विप्रार्थी 1 ता 10, 12 ता 14, 16, 18 ता 20, 23 ता 25 बावजद सूचना उपस्थित नही को इनकी और से प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के सम्बन्ध मे मौंन स्वीकृत प्रतीत होता है । प्रार्थीगण ने तहसीलदार से सीमाज्ञान का आदेश लेकर दिनांक 23/01/2023 को सीमाज्ञान भी करवाया , ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:07 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचनुसार प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जा[illegible]सींगडी सोढा, पटवार हल्का नेवरी , भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र थोब, तहसील [illegible]याणपुर मे खसरा संख्या 338 क्षेत्रफल 1.4488 हैक्टर भूमि अवस्थित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणको पूर्व

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार ....

में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर पक्षकारान की उपस्थित मे नेखमबंदी की जावे । कमिश्नर फीस 1500/—अक्षेर रूपये एक हजार पांच सौ जो, प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। पुलिस ईमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त कर सकते है। पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 30.05.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

29.5.2023

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:07 IST
Reason: SelfAttested